BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A No. 64 of 2025
IN
O.A. No. 487 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Sandeep …Applicant

Versus

UPPCB & Others …Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Status report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 17.09.2025 passed by the Hon'ble Tribunal	**1-3**
2.	**ANNEXURE NO. 1** A true copy of the communication letter dated 22.09.2025	**4**
3.	**ANNEXURE NO. 2** A true copy of the letter dated 22.09.2025	**5**
4.	**ANNEXURE NO. 3** A true copy of the latest inspection dated 01.12.2025	***6-31***

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the UPPCB
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 15.12.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 64 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 487 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Sandeep ....Applicant

Versus

UPPCB & Ors ....Respondents

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 17.09.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

I, Vishwanath Sharma aged about 49 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Aligarh (hereinafter UPPCB), do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in compliance to the directions of Hon'ble Tribunal issued vide order dated 17.09.2025, UPPCB vide letter dated 22.09.2025 has communicated the details of violations done by M/s Shri Ram Ent Udyog, Village-Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil-Atrauli, District Aligarh and also communicated the amount of Environmental Compensation imposed against the brick kiln to mining officer Aligarh and AMA, Jila Panchayat Aligarh. A true

copy of communication letter dated 22.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 1.**

3. That vide above letter dated 22.09.2025 UPPCB has also requested mining officer, Aligarh and AMA, Jila Panchayat Aligarh not issue any license in favor of M/s Shri Ram Ent Udyog, Village-Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil- Atrauli, District Aligarh without prior consent of UPPCB.

4. That UPPCB issued letter dated 22.09.2025 to Additional District Magistrate (F/R), Aligarh to inform about the recovery of Environmental Compensation Rs. 16,81,250/ (Rs. Sixteen lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred Fifty only) against M/s Shri Ram Ent Udyog, Village- Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil- Atrauli, District Aligarh. A true copy of letter dated 22.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 2.**

5. That officials of UPPCB have conducted the latest inspection of the above questioned brick kiln on 01.12.2025. During inspection dated 01.12.2025 the brick kiln was found closed in compliance of the closure order dated 04.04.2022 of UPPCB. During above inspection the trench was found empty and there was no raw brick was found in the premises. A true copy of latest inspection dated 01.12.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 3.**

6. That it is to submit here that considering the violation of the closure order dated 07.05.2024 of UPPCB, a complaint has been registered before the Special Court of Judicial Magistrate I[st] class UP Lucknow against M/s Shri Ram Ent Udyog, Village-Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil-Atrauli, District Aligarh. A true

copy of the Complaint is annexed herewith and marked as **Annexure No. 4**

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Aligarh..on this ..15th..... day of December, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

GULAB RAI
Regd. No-2772
Govt. of India

S.No. 247 Date 15th Time ...
Solemnly affirmed Before me ...
Affidavit by Shri ...
Identified by Shri ...
Who has been heard the contents ... the same
and have bought ... the same
to be correct
place

GULAB RAI
(Notary Govt. of India)
(Notary) G.O.I., Aligarh
Regd. No. 2772

15/12/2025

Anx-1

(3)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001,

पत्रांक– 1036/AU-578/2025 दिनांक 22.09.2025

सेवा में,

1. खान अधिकारी, अलीगढ़।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अलीगढ़।

विषय– मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम छौगवां, सिरसा मोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ को अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम छौगवां, सिरसा मोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 16,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसको सन्दर्भित ईट भट्ठा द्वारा जमा नहीं किया गया है। आप अवगत हैं कि सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक:एच28297/सी–6/सा0–207/नोडल ईट भट्ठा/2024–25 दिनांक 16.05.2025 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ बेंच में विचाराधीन पी0आई0एल संख्या–391/2025 विकास उपाध्याय बनाम स्टेट आफ यूपी एवं पॉच अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या–970/81–7–2019–39(पर्या)/2014–टीसी–1 दिनांक 21.08.2019, संख्या–582/81–7–2021–39 (पर्या)/2014–टीसी–1 दिनांक 08.07.2021, 303/81 –7–2021–39(पर्या)/2014 –टीसी–1 दिनांक 15.03.2021 तथा पत्र 1022/81–6–2022 दिनांक 17.11.2022 एवं संख्या– 456/81–6–2023 दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्ठों को बन्द करायें जाने एवं ऐसे ईट भट्ठे जिन्हें बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/ अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत न किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। जिसे कार्यालय के पत्रांक:381 दिनांक 22.05.2025 एवं पत्रांक:980 दिनांक 06.09.2025 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, (छायाप्रति संलग्न)।

अग्रेतर अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:एच10388/सी–4/ईट–904/बन्दी/2024 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा रू0 16,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गयी है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 16,81,250/– की वसूली भू–राजस्व की भॉति कराये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय द्वारा पत्र दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ से अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक:504 दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को भू–राजस्व की भॉति वसूल किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किये गये हैं।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित ईट भट्ठे मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम छौगवां, सिरसा मोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) को प्राप्त किये बिना अपने–अपने विभाग से किसी प्रकार अनुज्ञप्ति/अनापत्ति /लाइसेंस जारी न करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Anx-2

(2)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001,

पत्रांक– 1034 | AU-578 | 2025 दिनांक 22.09.2025

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

अलीगढ़ (उ0प्र0)।

विषय– मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, सिरसा मोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भॉति वसूल कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांकः504/एयू–578/2025 दिनांक 12.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांकःएच28116/सी–4/ईट–904/आर.सी./अलीगढ़/2025 दिनांक 09.05.2025 द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, सिरसा मोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 16,81,250/– को भू–राजस्व की भॉति वसूल किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ से किया गया है। जिसके कम में कार्यालय, जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांकः504/एयू–578/2025 दिनांक 12.06.2025 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 16,81,250/– को नियमानुसार भू–राजस्व की भॉति वसूल कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में की जा रही अद्यतन कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद एम0ए0 संख्या–64/2025 इन ओ0ए0 संख्या–487/2024 संदीप बनाम उ0प्र0 सरकार में नियत अगली तिथि दिनांक 26.12.2025 से पूर्व अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Anx-3

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड़, अलीगढ़–202001

पत्रांक– 1342/AU-578/2025 दिनांक– 01/12/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ का निरीक्षण दिनांक 01.12.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C अभिषेक मिश्रा

मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 01.12.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्टा मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़_हाईड्राफट तकनीकी पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में कच्ची ईंट भराई का कार्य होता हुआ नही पाया गया। ईंट भट्ठे की सभी ट्रैंच खाली अवस्था में पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के समीप किसी भी प्रकार के ईंधन का भण्डारण नही पाया गया एवं कोई भी श्रमिक/कर्मचारी ईंट भट्ठे पर उपस्थित नही है।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे पर कच्ची ईंट पथाई का कार्य होता हुआ नही पाया गया एवं कच्ची ईंट बनाने के लिए मिट्ठी भण्डारित नही पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

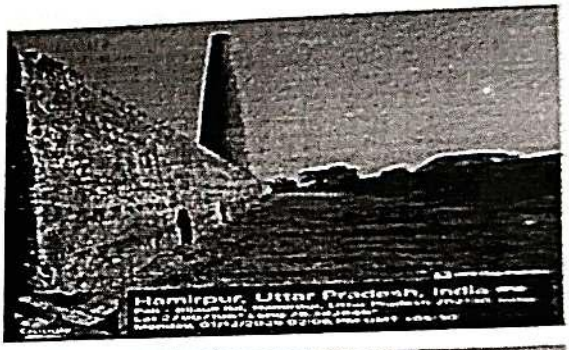

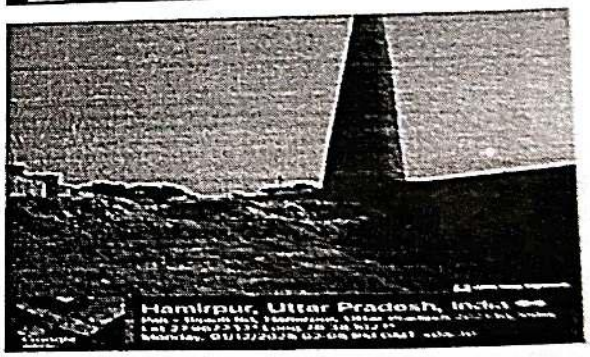

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(ऋषि कुमार कुशवाहा)
प्रयोगशाला सहायक

(अभिषेक सिंह)
अवर अभियन्ता

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : H10388 बंदी /सी-4/ईट-904/प0प्र0नो0-/2024, पंजीकृत दिनांक : 07-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली,
जनपद-अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग-जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार-बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0-1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भटठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि ईट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2850, दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2864, दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील-अतरौली, अलीगढ़ को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ-साथ ईट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था। संदर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-2882/एयू-578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक-247/एयू-578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम-छौंगवा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 04.06.2022, 22.03.2024 एवं 01.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के निम्नलिखित निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखा जाये एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिस पर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रति साक्ष्य आदि सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Filed on
03/07/24

समक्ष न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
(वायु एवं जल प्रदूषण), लखनऊ

परिवाद संख्या   वर्ष 2024

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा उपेन्द्र प्रसाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

......परिवादी

बनाम

1. मे0 राम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मे0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा प्रोपराइटर

2. श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासिनी–सिरसा, पोस्ट–बिजौली, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़, प्रोपराइटर, मे0 राम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मे0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़

......विपक्षीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा–39–डी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित)

महोदय,

परिवादी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जिसको आगे परिवादी बोर्ड कहा जाएगा) निम्नलिखित नम्र निवेदन करता है:–

1. यह कि परिवादी बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल, वायु एवं पर्यावरणीय प्रदूषणो के निवारण एव नियत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4(1) के अन्तर्गत एल.एस. जी–सेक्शन–4 शासनादेश सख्या–897/ix–4–100–74 दिनाक 03.02.1975 द्वारा किया गया है। अग्रेतर, अधिसूचना संख्या–2179/9–02–100–74 दिनाक 13.07.1982 के अन्तर्गत परिवादी राज्य बोर्ड का नाम उ0 प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड किया गया है।

2. यह कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा–21 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं करेगा। उ0 प्र0 सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

3. यह कि मे0 राम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मे0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ (जिसे आगे "ईंट भट्ठा" कहा जाएगा) अधिनियम की धारा–39–डी के उपबन्धों के अधीन कम्पनी की परिभाषा से आच्छादित है, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में बिना परिवादी बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किए ईंट भट्ठे की स्थापना की गई हैं एवं संचालन किया जा रहा है। अधिनियम की धारा–2(ट) के अन्तर्गत ईंट भट्ठा एक औद्योगिक संयंत्र है, जिसे स्थापना एवं संचालन से पूर्व परिवादी बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना आज्ञापक है।

4. यह कि विपक्षी संख्या–1 के अवैध संचालन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम परिवादी बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया एवं पत्र दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्रश्नगत ईंट भट्ठे को जारी सहमति को अधिनियम की धारा–21(4) के अन्तर्गत रिवोक कर लिया गया। पत्र दिनांक 19.12.2023 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–1** के रुप में संलग्न है।

5. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण ईंट भट्ठा प्रतिनिधि, श्री मोकहम सिंह, की उपस्थिति में परिवादी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ईंट भट्ठा परिवादी बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना और बंदी आदेश का उल्लंघन कर संचालित एव फुंकाई करते हुए पाया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 21.03.2024, हस्ताक्षरित दिनांक 22.03.2024, मय फोटोग्राफ परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–2** के रुप में संलग्न है।

6. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण स्थानीय जिला प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रश्नगत ईंट

भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किए संचालित पाया गया, जिसका संचालन जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं परिवादी बोर्ड) द्वारा पानी डालकर बंद कराया गया एवं उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रश्नगत ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किए न किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण की आख्या दिनांक 01.05.2024 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–3** के रुप में संलग्न है।

7. यह कि अधिनियम, 1981 की धारा–31(ए) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते परिवादी बोर्ड द्वारा दिनांक 07.05.2024 को विपक्षी संख्या–1 के विरुद्ध बिना पूर्व सहमति प्राप्त किए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ईंट भट्ठे की स्थापना एवं संचालन किए जाने के कारण बंदी आदेश जारी किया गया। बंदी आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–4** के रुप में संलग्न है।

8. यह कि विपक्षी संख्या–2, श्रीमती रानी देवी, प्रश्नगत ईंट भट्ठे की प्रोपराइटर हैं और विपक्षी संख्या–1 के दिन प्रतिदिन के कार्यों एवं व्यवसाय संचालन के लिए उत्तरदायी है, जिसके द्वारा अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित नियमों एवं उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है जो अधिनियम, 1981 की धारा–39–डी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। विपक्षी संख्या–2 के विपक्षी संख्या–1 का प्रोपराइटर होने संबंधी विपक्षी संख्या–1 का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा विपक्षी संख्या–2 के आयकर एवं आधार कार्ड की प्रति, संयुक्त रुप से, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–5** के रुप में संलग्न है।

9. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को परिवादी बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठा प्रतिनिधि, श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ईंट भट्ठा बंदी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किए संचालित पाया गया जो कि अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन एवं धारा–39–डी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। निरीक्षण आख्या दिनांक 10.05.2024, हस्ताक्षरित दिनांक 13.05.2024, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–6** के रुप में संलग्न है।

10. यह कि अधिनियम की धारा–39–डी के अधीन कोई अपराध जो किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

11. यह कि विपक्षी संख्या–2 के द्वारा जानबूझकर बिना राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए विपक्षी संख्या–1 की स्थापना एवं संचालन किया गया है। विपक्षीगणों को अधिनियम, 1981 के अनिवार्य प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। प्रतिवादी संख्या–2 को अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन एवं परिवादी बोर्ड से सम्मति प्राप्त किए बिना अपने ईंट भट्ठे, विपक्षी संख्या–1 का संचालन करने के परिणामस्वरुप एवं अपने व्यक्तिगत दायित्व के फलस्वरुप अधिनियम के अनिवार्य प्राविधानों का उल्लंघन करने का दोषी है तथा दण्ड का भागी है।

12. यह कि विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–2 के द्वारा अधिनियम की धारा एवं प्राविधानों के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध बड़े पैमाने पर समाज के विरुद्ध विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–2 के द्वारा जानबूझकर लगातार कारित किया जा रहा है।

13. यह कि विपक्षी संख्या–2 प्रत्यक्ष रुप से विपक्षी संख्या–1 का मस्तिष्क और तंत्रिका केन्द्र है और उसके द्वारा इकाई, विपक्षी संख्या–1, के दैनिक कार्यों एवं कारोबार का संचालन किया जाता है, जो कि अधिनियम की धारा–39–डी के अधीन दण्डनीय अपराध है।

14. यह कि परिवादी राज्य बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध परिवाद दायर किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदित प्रस्ताव दिनांक 28.05.2024 परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–7** के रुप में संलग्न है।

15. यह कि दिनांक 23.12.1981 को सम्पन्न परिवादी बोर्ड की 16वीं बैठक में कार्यसूची संख्या–16.04 पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में परिवादी बोर्ड

के सदस्य सचिव द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष विपक्षीगणों के विरुद्ध परिवाद दायर किए जाने हेतु श्री उपेन्द्र प्रसाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, को प्राधिकृत किया गया है। बोर्ड निर्णय एवं प्राधिकार पत्र, क्रमशः, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–8** एवं **संलग्नक संख्या–9** के रुप में संलग्न हैं।

अनुतोष

अतः, मा0 न्यायालय श्रीमान् जी से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारणों को दृष्टिगत करते हुए विपक्षीगण संख्या–1 व 2 के विरुद्ध उनके द्वारा कारित अपराध के लिए संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब करने एवं अधिनियम, 1981 की धारा–39–डी के अन्तर्गत समुचित दण्डादेश पारित करने की कृपा करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष जो मा0 न्यायालय वर्तमान परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत समझे वह भी पारित करने की कृपा करें।

लखनऊ
दिनांक 08/07/2024

परिवादी

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सूची गवाहानः–

1. श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री ए0 के0 आनन्द, पर्यावरण अभियंता, वृत्त–5, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री राधेश्याम, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
4. श्री जे0 पी0 सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
5. श्री जितेन्द्र कुमार, अनुश्रवण सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
6. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
7. अन्य कोई अधिकारी जो विचारण के समय उपलब्ध हो एवं उनका साक्ष्य न्यायहित में आवश्यक हो।

परिवादी

4543/2
27.02.2024

--6--

Anx-1

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1909/AU-528/2023

दिनांक 19.12.2023

सेवा में,

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम- छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,
तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़।

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 12/1/24
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

विषय **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 07.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एव मे0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम-छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ आदि के सम्बन्ध मे अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरण अधिनियमो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वाछित सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त नही करायी गयी है। अत उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा-25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के साथ सपठित धारा-21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 193199 दिनाक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरश अनुपालन न पाये जाने की दशा मे ईट भट्ठे के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा के उत्तरदायी का स्वय का होगा।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, अलीगढ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त ईट भट्ठे की सहमति (जल/वायु) आदेश की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल से सन्दर्भित ईट भट्ठे को जारी सहमति (जल/वायु) को रिवोक किये जाने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

ALE LETTER 2023

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ Annx-2
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2882/AU-578/24 दिनांक 22.03.24

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। अतः ईंट भट्ठे के विरूद्ध 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

APBR
04.4.24

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

-3-

Annexure-2

मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित विषयक ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा हाईड्रापट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया।
2. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयीं।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00816 दिनांक 16.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सहमति जल/वायु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक 18.09.2023 को किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी थी।
7. ईंट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस ईंट भट्ठा को प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है **(रिवोक पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।**
8. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, अतरौली, अलीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत श्री अशरार अहमद, राजस्व निरीक्षक के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2336 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से संलग्न कर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को मिट्टी खनन एवं कच्ची ईंट पथाई पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा इसकी सूचना कार्यालय के पत्र संख्या–2543 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।
9. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा उपजिलाधिकारी, अतरौली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त के अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी गयी। परन्तु ईंट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
10. ईंट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से भी किया गया है, जिसका निस्तारण कार्यालय के पत्र संख्या–2850 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय के पत्र संख्या–2864 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़ को ईंट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था।

11. सन्दर्भित ईंट भट्ठा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 एन0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Powered by NoteCam

Powered by NoteCam

- 10 -

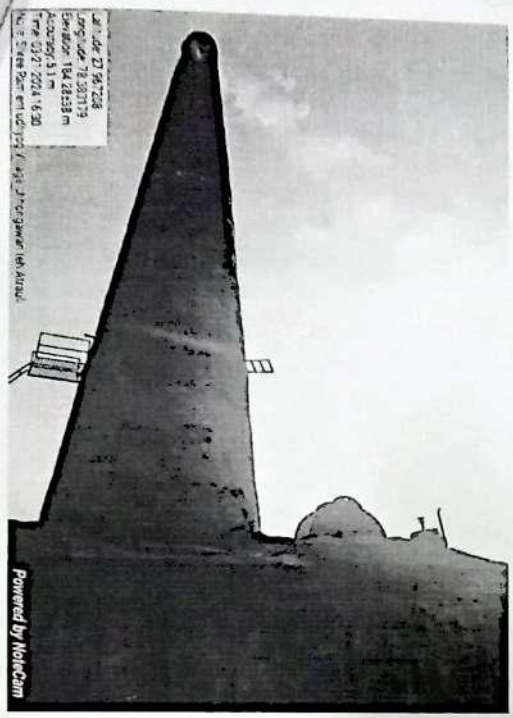
Powered by NoteCam

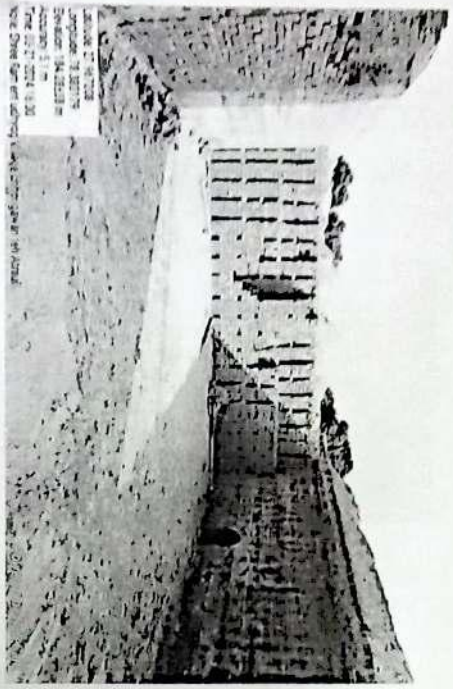

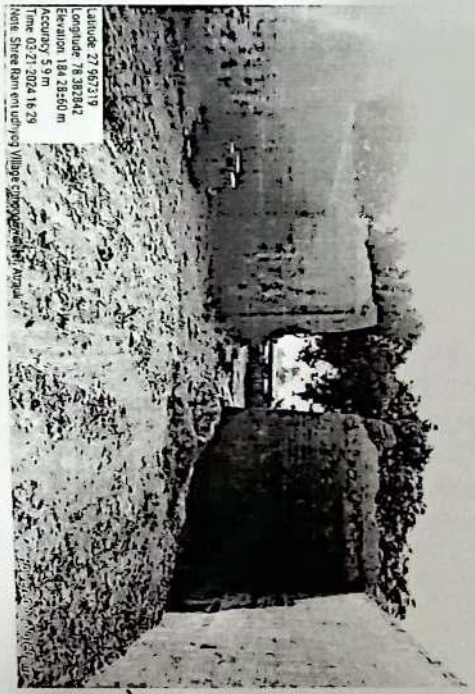

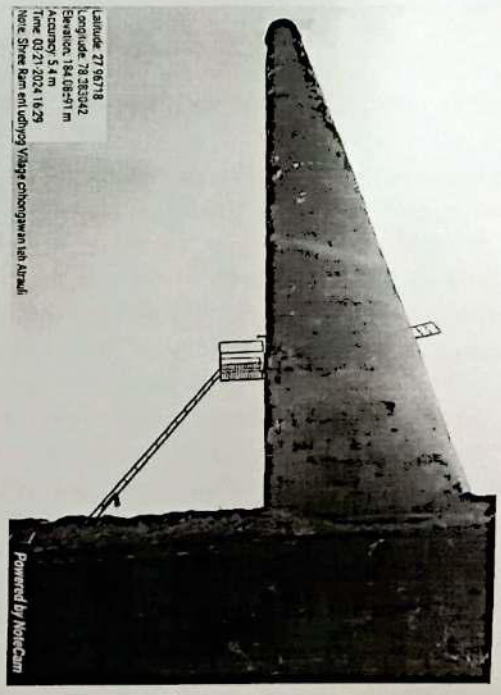
Latitude 27.96718
Longitude 78.383042
Elevation 184.08491 m
Accuracy 5.4 m
Time 03/21/2024 16:29
Note Shree Ram enl udhyog Village chhongawan teh Atrauli
Powered by NoteCam

-11-

Annexure-3

मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन, अतरौली के साथ दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह (मुनीम) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार एवं निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पा गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।

10. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

11. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का उत्पादन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- एवं पूर्व में में अधिरोपित 7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500 को समयोजित करते हुए कुल रू0 13,56,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

06/5/24

-13-

Anx-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : I-110388 /सी–4/ईट–904/बंदी/2024, दिनांक : 07-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0–1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि ईट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2850, दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2864, दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था। संदर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2882/एयू–578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–247/एयू–578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय

ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 04.06.2022, 22.03.2024 एवं 01.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के निम्नलिखित निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. **यह कि ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखा जाये एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।**

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिस पर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रति साक्ष्य आदि सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

9759232585

Annexure No-5

-15-

Application No.- 311823240153

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Brick Kiln Certificate

This is to certify that *Rani devi* resident of- Sirsa tehsil atrauli aligarh GSTN - 09CRXPD2742Q1ZW is Proprietor/Partner of Brick kiln Shri Ram ent udhyog Located at District - **Aligarh**, Tehsil - **Atrauli**, Village - **Chhaugawan**, Gata - **37** Number of Paya- **14**, Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount ₹ **266521** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2023-2024** by challan number *AKD230405468* Dated - 13/12/2023

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Aligarh	Atrauli	Chhaugawan	Anil kumar, kamlesh, jugendra Singh, ravendra singh,Amit Kumar	214	3.1640

Issuing Date : 13/12/2023

Valid Till : 30/09/2024

This Certificate has been Digitally issued & has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines upsdc gov in after depositing Regulating Fee This Certificate does not require any Signature It's validity can be checked from portal upmines upsdc gov in

Annexure-6

— 18 —

जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड़, ग्राम–छेमवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 10.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे, जिन्हे राज्य बोर्ड की सहमति के बिना भट्ठा संचालन नही करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नही पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय मे प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व मे कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी (संलग्नक–1)।
7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनाक 21.03.2024 (संलग्नक–2) को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम मे कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनाक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनाक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

9. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय) द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

10. ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी है **(संलग्नक-3)**।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने के उपरान्त भी निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.05.2024 को संचालित पाया गया है। ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक कुल 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार (EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से) तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/- का चार गुणा अर्थात रू0 25,000/दिन की दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल रू0 25,000x5=1,25,000/- एवं पूर्व में (7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500) पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति को समयोजित करते हुए कुल रू0 14,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की सस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या-309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी **(संलग्नक-4)**।

12. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच10388 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है **(संलग्नक-5)**।

उपरोक्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि उक्त ईंट भट्ठे ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/- का आठ गुण अर्थात रू0 50,000/दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल रू0 50,000x4=2,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या-309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से रू0 14,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को सज्ञानित करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13-5-24	13.5.24	13/5/24	
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहा0पर्या0 अभियन्ता	सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

13/5/24

ENT BHATTA REPORT

-20- Annexure No-7

मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम—मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम—छौगवां, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ एवं उसके उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम—मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम—छौगवां, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा—2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम—मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम—छौगवां, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्रांक—2882/एयू—578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग—जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार—बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या—1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र सं0—1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भटठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या पत्रांक—247/एयू—578/2024, दिनांक 01.05.2024 के अनुसार मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम—छौंगवा, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

तत्क्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक—एच10388/सी—4/ईट—904/बंदी/2024, दिनांक 07.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा—31(ए) के अन्तर्गत मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम—छौंगवा, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखे जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किये जाने हेतु निर्देश/आदेश जारी किया गया।

जिलाधिकारी, अलीगढ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा ईट भट्ठा मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम—मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम—छौगवां, तहसील—अतरौली, जनपद—अलीगढ़ का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी ...

ईंट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21, जो धारा–39डी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक–320/एयू–578/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त करा दिया गया है। उक्त ईट भट्ठे के अवैध संचालन हेतु दिन–प्रतिदिन के कार्यो के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रानी देवी (प्रोपराइटर) पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासी–सिरस, पोस्ट–बिजौली, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ एवं उसके संचालन हेतु दिन–प्रतिदिन के कार्यो के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रानी देवी (प्रोपराइटर) पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासी–सिरस, पोस्ट–बिजौली, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–39डी के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ए0के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–4

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

सदस्य सचिव महोदय/अध्यक्ष महोदय
28/5/24

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

-22-

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वी बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णय–

विषय– बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय मे बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयो मे औद्योगिक एवं स्थानीय निकायो के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पडती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वय न्यायालय मे उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादो मे सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय मे उपस्थित रहना पडा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो म व्यवधान पडा है।

उपरोक्त वर्णित कारणो एवं स्थानीय सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयो में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिनको भी सदस्य–सचिव नामित करे। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमो मे, वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाय।

इस प्रकार की कार्यवाही स अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापो मे किसी प्रकार का व्यवधान नही पडेगा।

निर्णय

बोर्ड की ओर से न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करे।

(राजेन्द्र सिंह)

Annexure No-9

-23-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 03-07-2024

BEFORE THE HON'BLE SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE,
(Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. **of 2024**

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow .....Complainant

Versus

M/s Ram Ent Udhyog (Previous Name-M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Sirsa Mod, Village-Chhaugawan, Tehsil-Atrauli, District-Aligarh through its Proprietor and another .....Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Upendra Prasad, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-39-D of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 M/s Ram Ent Udhyog (Previous Name-M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Sirsa Mod, Village-Chhaugawan, Tehsil-Atrauli, District-Aligarh through its Proprietor and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, , T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Upendra Prasad is hereby attested.

(Upendra Prasad)

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com